अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1575(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2366 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन, प्लॉट नं. पी-66, ए-रोड, लेन संख्या 03, एम आई डी सी, सतपुर, नासिक 422007, महाराष्ट्र द्वारा नेत्रहीनों के लिए भावना चंडक (फ्लोर) एमएएचएएनएबी स्कूल (2) नेत्रहीनों के लिए एनएबी नाइस विजय मर्चेंट मेमोरियल कार्यशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र (3) एमएएचए-एनएबी प्रशिक्षण केंद्र (4) बाधिर नेत्रहीन एवं बहुविकलांगता केंद्र (5) बाधिर नेत्रहीन एवं बहुविकलांगता व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र " की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 91 लाख रुपये के कार्पस निधि सहित 5.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 06 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा "राष्ट्रीय नेत्रहीन संगठन, प्लॉट नं. पी-66, ए-रोड, लेन संख्या 03, एम आई डी सी, सतपुर, नासिक 422007, महाराष्ट्र द्वारा नेत्रहीनों के लिए भावना चंडक (फ्लोर) एमएएचए एनएबी स्कूल (2) नेत्रहीनों के लिए एन ए बी नाइस विजय मर्चेंट मेमोरियल कार्यशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र (3) एम ए एच ए-एन ए बी प्रशिक्षण केंद्र, (4) बाधिर नेत्रहीन एवं बहुविकलांगकता केंद्र (5) बाधिर नेत्रहीन एवं बहुविकलांगता व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र" की परियोजना अथवा स्कीम को 91 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 5.01 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष

2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.145 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)